आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) विविध(जमाबंदी रद्द) अपील वाद सं0–19/2016 रामेश्वर पंडित वगै0 –बनाम– दौलत पंडित	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

08.10 .2021

08.10.2021

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह अपीलवाद प्रथम पक्ष रामेश्वर पंडित वगैरह के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उप–सगाहर्ता, गिरिडीह के वाद सं0 09/2013–14 में पारित आदेश, दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	कुल रकवा	भूमि की किस्म
पीरटांड	पालमो	190	53	कुल 24 प्लॉट	5.27 एकड़	रैयती

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :– उपरोक्त वर्णित ब्यौरे की भूमि पर प्रथम पक्ष इस आधार पर दावा करते है कि उन्हें उक्त भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है, जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत करते है। दोनों पक्षों की जमाबंदी पंजी-II में चल रही है एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के जमाबंदी को फर्जी मानते हुए विपक्षी के दावे को संपुष्ट किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम पक्ष ने अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई तथा सुनवाई की विभिन्न तिथियों में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादगत भूमि के खतियानी रैयत नावल्द फौत कर गए एवं तत्कालीन जमींदार द्वारा उनके पूर्वजों को वादगत भूमि बन्दोबस्त की गई तथा तब से वे लोग बंदोबस्तधारी के वंशज होने के कारण वादगत भूमि का उपभोग कर रहे है। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वर्ष 1944 में सादा हुकुमनामा से उन्हें उक्त भूमि प्राप्त है तथा बंग्ला भाषा में होने के कारण हुकुमनामा को जाली करार नहीं दिया जा सकता है। साथ ही पूर्व से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष के अपील को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

1. यह कि, विपक्षी खतियानी रैयत डोमन कुम्हार के वंशज है एवं उनकी वंशावली निम्नवत है :–

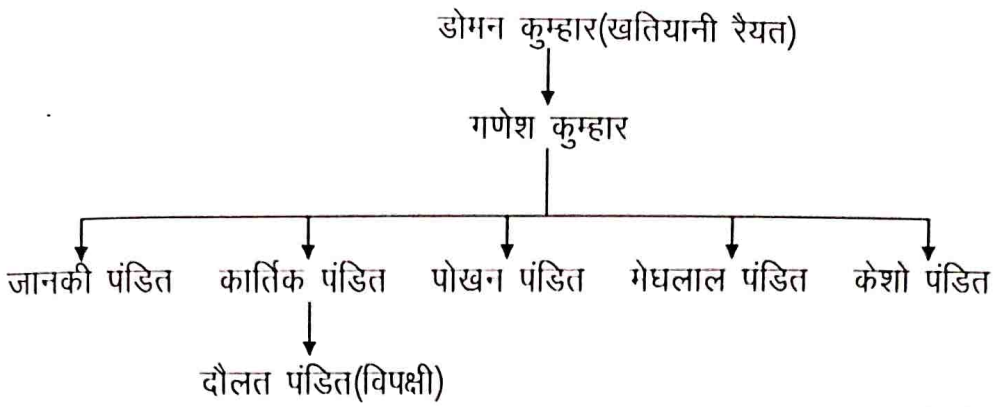

2. यह कि, उपरोक्त 05 वंशज में कार्तिक पंडित की मृत्यु अल्प आयु में होने के कारण विपक्षी दौलत पंडित की भरन–पोषण हेतु उनकी माँ अपने मायके चली गई थी। अपीलार्थी के अन्य 04 चाचा भी व्यक्तिगत कारणवश बगल के गांव में जा बसे तथा इसी बीच सादा व फर्जी हुकुमनामा के आधार पर खतियानी रैयत को नावल्द दिखाते हुए प्रथम पक्ष द्वारा अपने पक्ष में बंदोबस्ती प्राप्त कर लिया गया।
3. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा दायर सादा हुकुमनामा बंग्ला भाषा में है एवं न तो यह निबंधित है और न ही इस पर जमींदारी मुहर ही अंकित है।
4. यह कि, उक्त गांव में अन्य ग्रामीणों को भी जमींदार द्वारा भूमि बंदोबस्त की गई है, जो हिन्दी/कैथी भाषा में है, तो फिर प्रथम पक्ष का हुकुमनामा बंग्ला में किस आधार पर हो सकता है?
5. यह कि, विपक्षी द्वारा 08.01.1961 का एक निबंधित केवाला प्रस्तुत किया गया है, जो यह प्रमाणित करता है कि खतियानी रैयत नावल्द नहीं थे, क्योंकि उक्त डीड के तहत् गणेश कुम्हार वल्द डोमन कुम्हार के द्वारा भूमि क्रय किया गया है, जिसमें उसी गांव के कुछ लोगों का गवाह के रूप में हस्ताक्षर अंकित है।
6. यह कि, निम्न न्यायालय द्वारा न्यायसंगत तथा विधि के अनुरूप आदेश पारित किया गया है। अतः प्रथम पक्ष के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करते हुए वर्तमान अपीलवाद को खारीज करने की कृपा की जाय।

विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश, दिनांक 28.09.2015 के तहत् विपक्षी दौलत पंडित मूल खतियानी रैयत डोमन कुम्हार के वंशज है एवं वादगत भूमि के वास्तविक हकदार है। साथ ही प्रथम पक्ष के नाम कायम जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश का है, जो पूर्णरूपेण अवैद्य है। अतः प्रथम पक्ष के नाम कायम जमाबंदी को स्थगित करते हुए विपक्षी के नाम से जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

–: विचारण व निर्णय :–

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, निम्न न्यायालयों द्वारा की गई कार्रवाई तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1. यह कि, अंचल अधिकारी, पीरटांड के प्रतिवेदन, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह के आदेश एवं दिनांक 08.01.1969 को संपादित निबंधित दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खतियानी रैयत नावल्द नहीं थे।

2. यह कि, स्पष्ट है कि 1969 में खतियानी रैयत के वंशज जीवित थे, तो वर्ष 1944 के पूर्व खतियानी रैयत को नावल्द घोषित करना एवं तद्नुरूप विपक्षी द्वारा अनिबंधित एवं बिना मुहर के बंग्ला भाषा में निर्गत सादा हुकुमनामा के आधार पर बंदोबस्ती कायम कराना अपने आप में फर्जी, अवैद्य व संदेहस्पाद प्रतीत होता है।
3. यह कि, ऐसा प्रतीत होता है कि खतियानी रैयतों के दूसरे गांव में बस जाने के कारण प्रथम पक्ष के द्वारा येनकेन प्रकरेण जालसाजी करते हुए फर्जी हुकुमनामा के आधार पर अपने पक्ष में जमाबंदी कायम करा ली गई।
4. यह कि, बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के प्रथम पक्ष के नाम कायम जमाबंदी पूर्णरूपेण अवैद्य प्रतीत होता है।
5. यह कि, न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर प्रथम पक्ष रामेश्वर पंडित वगैरह द्वारा दायर अपील को खारीज करते हुए भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश, दिनांक 28.09.2015 को यथावत रखा जाता है एवं प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.11.22 17:17:33 +05:30
Location: 192.168.149.138